बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :– राज्य बुनकर और दस्तकार आयोग के गठन के संबंध में।

राज्य के 11 (ग्यारह) लाख से भी ज्यादा लोगों को बुनकरी और दस्तकारी प्रक्षेत्र में रोजगार हासिल है, जिनमे से बड़ा प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों से जुड़े लोगों का है। यह प्रक्षेत्र काफी हद तक पर्यावरण हितैशी है। अधिकांश ईकाइयाँ गाँव तथा कस्बे में स्थित है, जो ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों के आय का प्रमुख साधन है। अतएव बुनकर एवं दस्तकार समाज के चौमुखी विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान को विशेषकर ध्यान में रखते हुए इनके संरक्षण, कल्याण एवं आर्थिक अभिवृद्धि तथा उनके रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलें के अन्वेषण और अनुश्रवण कर राज्य सरकार को अपर्ना अनुशंसा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य बुनकर और दस्तकार आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

2. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा राज्य बुनकर और दस्तकार आयोग के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. <u>राज्य बुनकर और दस्तकार आयोग का गठन निम्न प्रकार किया जाता है</u> :–

(क).

I.	अध्यक्ष	– एक
II.	उपाध्यक्ष	– एक
III.	सदस्य	– छः
IV.	सदस्य सचिव	– एक

(ख). <u>शर्त्तें</u> :– आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के मनोनयन/ चयन के लिए निम्नोकित शर्त्तें होगेः–

I. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष में से एक बुनकर प्रक्षेत्र एवं एक दस्तकारी प्रक्षेत्र के दक्ष/ जानकार व्यक्ति होंगे। छः सदस्यों में से तीन बुनकर प्रक्षेत्र एवं तीन दस्तकारी प्रक्षेत्र के दक्ष व्यक्ति होंगे।

II. आयोग में कम से कम एक महिला, एक अल्पसंख्यक एवं एक अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि होंगे चाहे वे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव में से हों।

(ग). <u>मनोनयन/चयन</u> :– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का मनोनयन/ चयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(घ). <u>अर्हतायें</u> :– आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के लिए निम्नांकित अर्हताएँ होंगेः–

I. सदस्यों जो ख्यातिप्राप्त बुनकर या दस्तकार हो।

II. जिन्हें सार्वजनिक जीवन में बुनकर एवं दस्तकारी प्रक्षेत्र का ज्ञान, अनुभव और दक्षता प्राप्त हो।

III. जो बुनकरों एवं दस्तकारों की आर्थिक स्थिति एवं अधिकारों में सुधार लाने संबंधित कार्य के अनुभवी हों।

IV. जो अखिल भारतीय सेवाओं या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किये हुए हैं और जिन्हें दस्तकारी एवं बुनकर प्रक्षेत्र में नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान या अनुभव हो।

(ङ). <u>कार्यकाल</u> :– आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक अधिकतम तीन वर्षों की अवधि का होगा।

II. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगे।

क्रमशः पृष्ठ–2.

(च). आयोग का कार्य एवं दायित्वः— आयोग निम्नलिखित बिन्दुओं पर सुझाव या परामर्श देगाः—

I. राज्य सरकार द्वारा बुनकरों/दस्तकारों के लिए कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं का अनुश्रवण एवं ऐसे रक्षोपायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना।

II. नीति/नियम/अधिनियम/कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक सुझाव देना, जिससे बुनकरों/दस्तकारों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। आयोग नयी योजनाओं के लिए भी सुझाव समर्पित कर सकेगा।

III. बुनकर/दस्तकार सहयोग समितियों एवं स्वयं सहायता समूह के गठन, प्रबंधन एवं अंकेक्षण के संबंध में सम्यक अध्ययन कर राज्य सरकार को सुझाव समर्पित करेगा।

IV. बुनकरों/दस्तकारों को प्रेरित करना एवं उनका सर्वे करवाना।

(छ). आयोग की शक्तियाँ :— आयोग अपने कार्यों के संपादन हेतु राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी से आवश्यक सूचना माँगनें तथा पदाधिकारियों की बैठक बुलाने हेतु सक्षम होगा।

II. आयोग राज्य सरकार के अनुमोदन से आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन के लिए सरकारी विभागों या अन्य किसी संस्था की सहायता ले सकेगा।

(ज). कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना :— आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि :—

I. राज्य आयोग में कोई रिक्ति है या उनके गठन में कोई त्रुटि है; या

II. राज्य आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

III. राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

(झ). दर्जा :— आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को क्रमशः राज्य मंत्री/उपमंत्री की सुविधाएँ देय होंगी।

II. आयोग के सदस्यों को सरकार के सचिव स्तर की सुविधाएँ देय होंगी।

III. आयोग के सचिव, पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा राज्य सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा आयोग में पदस्थापित सचिव, अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त्त सरकार द्वारा अलग से विहित की जायेगी।

(ञ). वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण :—

I. राज्य सरकार (उद्योग विभाग) आयोग का कार्य चलाने हेतु एवं उसके कार्यों के प्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध करायेगी।

II. आयोग द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसपर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

III. आयोग का प्रशासी विभाग उद्योग विभाग होगा।

IV. आयोग के दैनिक कार्यों में होनेवाली कठिनाइयों का निदान प्रशासी विभाग के कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया जायेगा।

4—प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 24.02.2014 के मद संख्या 31 में स्वीकृति प्राप्त है।

5— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक, सुविख्यात पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

क्रमशः पृष्ठ—3.

ज्ञापांक–. 756 पटना, दिनांक 26 /02 /2014
सं०सं०–2 / उ0नि0 / आयोग गठन–17–03. / 2014

प्रतिलिपि– प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्। अनुरोध है कि प्रकाशित बिहार राजपत्र की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. 756 पटना, दिनांक 26 /02 /2014
सं०सं०–2 / उ0नि0 / आयोग गठन–17–03. / 2014

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. 756 पटना, दिनांक 26 /02 /2014
सं०सं०–2 / उ0नि0 / आयोग गठन–17–03. / 2014

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान आप्त सचिव / माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली / उद्योग निदेशक, बिहार के निजी सहायक / निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरधा एवं रेशम, बिहार / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार के अधीन सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कौरपोरेशन लिमिटेड, पटना / निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0 एस0 एम0 ई0) विकास संस्थान, पटना / मुजफ्फरपुर / महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. 756 पटना, दिनांक 26 /02 /2014
सं०सं०–2 / उ0नि0 / आयोग गठन–17–03. / 2014

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्। कृपया इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय, साथ ही प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को भी वेबसाईट पर प्रेषित किया जाय।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।